समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के पत्रांक -176062, दिनांक-30.01.2014 द्वारा श्रीमति नमिता कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा सदर, मधेपुरा के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना का लाभ एक ही व्यक्ति को दिये जाने, बी0पी0एल0 सूची में लाभुकों का नाम दर्ज नहीं होने पर भी इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया जाना, सामान्य कोटि के लाभार्थियों को लक्ष्य से बहुत अधिक इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया जाना, एडभाईस में क्रमांक एवं पहचान संख्या दर्ज नहीं करने एवं इनके द्वारा प्रखण्ड विकास कार्यो में भारी गड़बड़ियाँ करने का आरोप प्रतिवेदित है, साथ ही विभाग द्वारा प्रशासनिक हित में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा सदर, मधेपुरा के पद से स्थानांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपर्युक्त विभागीय निदेश के आलोक में श्रीमति नमिता कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा सदर, मधेपुरा को आज दिनांक-30.01.2014 के अपराह्न से विभाग में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है, साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-31.01.2014 तक विभाग में निश्चित रूप से योगदान दें।

श्रीमति नमिता कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा सदर, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना सम्पूर्ण प्रभार अंचल अधिकारी, मधेपुरा को अबिलम्ब सौंपना सुनिशिचित करें।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......06-1..../स्था0, मधेपुरा दिनांक-30 जनवरी 2014

प्रतिलिपि :- श्रीमति नमिता कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा सदर, मधेपुरा/ अंचल अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को उनके पत्रांक-176062, दिनांक-30.01.2014 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

30/1/14

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।